



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1942 (श०)

संख्या-133 राँची, गुरुवार,

18 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

01 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-112/2016-1007 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री निरंजन कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-820/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन अपर समाहर्ता, साहेबगंज के विरुद्ध साहेबगंज जिला में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत बंदरगाह का निर्माण, गंगा पुल का निर्माण एवं राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-80 द्वारा बायपास सड़क के निर्माण की प्रस्तावित योजना अन्तर्गत कई बार निदेश देने के बावजूद NHAI को सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तान्तरण का प्रस्ताव समर्पित नहीं करने, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत मौजा-समदानाला एवं रामपुर में बंदरगाह निर्माण हेतु रैयतों के बीच शिविर लगाकर मुआवजा भुगतान का कार्य सम्पन्न करवाने में शिथिलता बरतने, विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा करना तथा उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा दिये गये आदेश का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारिता बरतने, बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अंचल मंडरो अन्तर्गत मौजा-मारीकुटी के दाग सं0-51, रकबा-4 एकड़ खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच संयुक्त रूप से अंचल अधिकारी, मंडरो के साथ करने संबंधी उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-1110/गो0, दिनांक 13.06.2015 का अनुपालन कई स्मार पत्र निर्गत करने के बावजूद नहीं करने एवं जिला स्थापना शाखा के वरीय प्रभारी

के रूप में संचिका में गलत टिप्पणी करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-19/गो0, दिनांक-17.08.2016 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, साहेबगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री निरंजन कुमार, झा0प्र0से0 एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NIRANJAN KUMAR BHR/BAS/3757	श्री निरंजन कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन अपर समाहर्ता, साहेबगंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
